न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0––78/2025

प्रविष्टि दिनांक––18.03.2025

1. भागचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति जाट उम्र 60 वर्ष निवासी दहलोद तहसील निवाई जिला टोंक
2. जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी दहलोद तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला–टोंक (राज०

– अप्रार्थीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री कौशल किशोर जाट –प्रार्थी
पेरोकार सरकार– तहसीलदार निवाई

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक 12/1/26

प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 481/4 क्षेत्रफल 3.7939 हैक्टेयर खसरा नम्बर 398 क्षेत्रफल 57.3135 हैक्टेयर प्रार्थी व अन्य खातेदारों की भूमि वाके ग्राम दहलोद पटवार हल्का दहलोद तहसील निवाई में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी अपने पिता की मृत्यू से लेकर आज तक काबिज काश्त है। ग्रमा दहलोद में मूल खसरा नम्बर 481 रकबा 45 बीघा 03 बिस्वा भूमि सम्वत् 2011 तक किस्म सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज पटवार रिकॉर्ड थी। जिसमें से चार अलोटमेन्ट किये गये। एक अलोटमेंट में रायचन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाट के हक में 15 बीघा भूमि की तरमीम की गई। दूसरा अलोटमेन्ट रामनारायण पुत्र रघुनाथ जाट के हक में 15 बीघा भमि का किया गया तथा खसरा नम्बर 481/3 भूमि पृथक से तरमीम की गई। तीसरा अलोटमेन्ट नारायण पुत्र गंगाराम माली के 02 बीघा 10 बिस्वा किया जाकर ख0नं0 481/2 की तरमीम की गई। चौथा और अंतिम अलोटमेन्ट नारायण पुत्र उदा जाट के हक में किया जाकर खसरा नम्बर 481/1 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा की भमि की पृथक से तरमीम की गई। पश्चातवर्ती क्रम में भी डी.आई.एल.आर.ए.पी. के तहत टोंक जिले की निवाई तहसील के सम्पूर्ण राजस्व ग्राम की ऑनलाईन राजस्व शीट में तरमीम किये जाने के समय बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 481/4 की नक्शा शीट में छेड़छाड़ कर पूर्व नक्शा शीट के विपरित जाकर खसरा नम्बर 481/4 क्षेत्रफल 3.7939 हैक्टेयर को 5.6962 हैक्टेयर व 481/3 क्षेत्रफल 3.7939 हैक्टेयर को 5.7341 हैक्टेयर की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में की गई है। जिस कारण खसरा नम्बर 481/1 व 481/2 का रकबा कम हो जाने के कारण उक्त भूमि की तरमीम प्रार्थी की अन्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 398 में कर दी जबकि उक्त भूमि की पृथक से तरमीम मौके कब्जेनुसार कालान्तर से चली आ रही है। खसरा नम्बर 481/4 की भूमि खसरा नं0 398 के अड़वा स्थित है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि आराजियात खसरा नम्बर 481/1, 481/2, 481/3, 481/4 की तरमीम वर्तमान नक्शा शीट में मौका कब्जा व भू–सुधार नक्शा शीट के अनुसार किये जाने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप नकल नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी व मोमिया शीट की फोटो प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 481 में पहला अलॉटमेन्ट रायचन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाट के हक में 15 बीघा भूमि का अलॉटमेन्ट हुआ था जो वर्तमान जमाबन्दी अनुसार जगदीश भागचन्द पि0 रायचन्द्र जाति जाट खसरा नम्बर 481/4 रकबा 0.7939 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बर की मौका कब्जा अनुसार बटर–शीट में तरमीम हो रखी है। उक्त खसरा नम्बर की रकबा बरारी करने पर देखा गया कि 3.7939 है के वजाय 4.8331 है तरमीम हो रखी है जो कि 1.0392 है अधिक है। दूसरा अलॉटमेन्ट रामनारायण पुत्र रघुनाथ जाति जाट के हक में 15 बीघा का हुआ था जो वर्तमान जमाबन्दी में प्रवीण पुत्र रीछपाल, रामरतन पुत्र रामनारायण वगैरह के नाम खसरा नम्बर 481/3 रकबा 0.7939 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी मौका कब्जा अनुसार बटरशीट में तरमीम हो रखी है। जो कि 2.3633 है0 भूमि अधिक है। तीसरा अलॉटमेन्ट की भूमि 481/2 रकबा 0.6323 है भूमि है जिसकी तरमीम बटरशीट में मौका कब्जा अनुसार हो रखी है। चौथा अलॉटमेंन्ट की भूमि आपसी सहमति से विभाजन होकर 974/481 रकबा 1.5997 है0 व खसरा नम्बर 975/481 रकबा 1.5998 है0 दर्ज है जिसकी बटरशीट में मौका कब्जा अनुसार तरमीम हो रखी है। लेकिन क्रमश 1.5997 है0 के बजाय 3.4065 है तथा 1.5998 है0 के बजाय 3.4066 है0 की तरमीम हो रखी है। खसरा नम्बर 481/1, 481/2, 481/3, 481/4 की तरमीम डीआईएलआरएमपी शीट में मौके कब्जे अनुसार हो रखी है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थना–पत्र में वर्णित कृषि आराजियात खसरा नम्बर 481/1, 481/2, 481/3, 481/4 की तरमीम वर्तमान नक्शा शीट में मौका कब्जा व भू–सुधार नक्शा शीट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि खसरा नम्बर 481/1, 481/2, 481/3, 481/4 की तरमीम डीआईएलआरएमपी शीट में मौके कब्जे अनुसार हो रखी है। उक्त खसरा नम्बरान का रकबा शीट में बढा हुआ है जिसे नक्शा ट्रेस में दर्शाते हुए तहसीलदार निवाई की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में संलग्न कर भिजवाया गया है। जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान 974/481, 975/481, 481/4 व 481/3 का रकबा वर्तमान शीट में बढा हुआ है लेकिन तरमीम मौके कब्जे–अनुसार हो रखी है। बढ़े हुऐ रकबा को दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के साथ नक्शा ट्रेस में दर्शाते हुए प्रस्तावित किया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना भविष्य में विवादों की बढोतरी की रोकथाम हेतु उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

फलतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार निवाई/पेरोकार सरकार की रिपोर्ट/दस्तावेजात के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम दहलोद पटवार हल्का दहलोद के खसरा नम्बर 974/481 रकबा 1.5997 हैक्ट0 की तरमीम 3.4065 हैक्टेयर के बजाय 1.5997 हैक्ट0, खसरा नम्बर 975/481 रकबा 1.5998 हैक्ट0 की तरमीम 3.4066 हैक्टेयर के बजाय 1.5998 हैक्ट0, खसरा नम्बर 481/4 रकबा 3.7939 हैक्ट0 की तरमीम 4.8331 हैक्ट0 के बजाय 3.7939 हैक्ट0 एवं खसरा नम्बर 481/3 रकबा 3.7939 हैक्ट0 की तरमीम 6.1572 हैक्ट0 के बजाय 3.7939 हैक्ट0 संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 12/1/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(प्रीति मीणा)
निवाई

उपखण्ड अधिकारी निवाई